सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 841 **16 Kartik, 1938 (S)**
Ranchi, Wednesday , 8th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

7th November, 2017

S.O. 122- Dated 8th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from 28th October, 2017

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 24, in sub-rule (4), for the words, figures and letters "on or before 31st October, 2017", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2017" shall be substituted;

(ii) in rule 45, in sub-rule (3), after the words "succeeding the said quarter", the words "or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner." shall be inserted;

(iii) in rule 96, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.";

(iv) in rule 96A, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period."

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner

Note:-The principal notification was published in the Jharkhand Gazette *vide* S.O. 28 dated 20th June, 2017, and was last amended by S.O. 116 dated 1st November, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

एस० ओ० 122- दिनांक 8 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवाकर नियम, 2017 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) यह अधिसूचना 28 अक्तूबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 24 के उपनियम (4) में, ''31 अक्तूबर, 2017 को या उससे पहले'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 45 के उपनियम (3) में, ''उक्त तिमाही के उत्तरवर्ती'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 96 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

''परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।'';

(iv) नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।"

सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/07/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त

टिप्पनी: मूल अधिसूचना, झारखण्ड के राजपत्र, अधिसूचना एस० ओ० 28 दिनांक 20 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना एस०ओ० 116 दिनांक 01 नवम्बर, 2017 के अनुसार हुआ था।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 841-- 50.